

शाहारा उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करीली

7/8/2019

करीली-17-12-18

सम्मान- रामलक्ष्म कान्ठ जगदीश वर्मा

घरना पत्र पास 212 टोडाभीम

घर का काम

घरों की जमीन से भी गेन्ड कर्म एडवाइजर के घरना पत्र जमापत्र पास 212 टोडाभीम के माते बरतुता किया गया। जमापत्रम किया गया। घरना पत्र एवं बकिस्तर एवं प्रतिपरीक्षा को कारकीर्त को टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं कारकीर्त को टोडाभीम से शाहारा के सम्मान जरिए वादी बकिस्तर एबी. एवं घर जरिये सम्मान नोटिस तत्पर कर पकावली दिनांक 23.01.2019 को पेश की।

5725-33
17-12-18

राम लक्ष्म कान्ठ
टोडाभीम जिला करीली

23/1/19

अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी

14/2/19
कामना से है। यह भी जो से काम सम्मान
रहा था है। गणपति दिनांक 14/2/19
को पेश की।

13/2/19

अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी

4-4-19

अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी
अधी कर्मीन उप/ 3-अधी नं. उपलिन एवं नरी

17.5.19

पत्रावली पेश हुई। पत्र की ओर से कड़ी रखा गया है। मतानुसार दिनांक 19.7.19 को पेश हो।



21.6.19

बहुलाय उप. / अर्पि-न. 1 का जवाब पेश करने दिनांक 12.7.19 को पेश हो।



12.7.19

यकुलव अस्थितपीठराव अधिकांश करीली पत्र है। आ: पत्रावली मतानुसार दिनांक 19.7.19 को पेश हो।



19.7.19

बहुलाय उप. / अर्पि-न. 1 ने जवाब पेश किया। जवाब की प्रति चकील अर्पि ने प्राप्त की। चकील अभयस ने एक पत्र लिख कहा कि मह अर्पिना पत्र - अस्थार्थ निषेधाज्ञा खारिज कर दिया जो चकील अभयस की सहमति दिये जाने पर मह अर्पिना पत्र अस्थार्थ निषेधाज्ञा इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फेसल गुमार होकर नम्बर से काम होकर दाण पत्रावली के साथ संलग्न रहे।



श्री कल्ल
श्रीमान ()